# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर

पत्रांक 354/15-1 दिनॉक, कानपुर, जुलाई 20 2018

सेवा में,

महा प्रबन्धक सह परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 47 एवं 48
ड्रीम सिटी कालोनी(बाल जीवन घुट्टी के सामने),
जी0टी0 रोड सारसौल अलीगढ

विषयः– जनपद कानपुर नगर में एन0एच0– 91 मित्रसेन–कानपुर मार्ग के किमी0 356.000 से किमी0 414.000 तक फोर लेन मार्ग चौडीकरण हेतु 93.975 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4800 बाधक वृक्षों एवं 17 पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–8 बी/ यू0पी0/06/24/2018/एफ0सी0/248 दिनांक–06.07..2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के आधीन सैद्यान्तिक स्वीकृति भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराते हुए तदनुसार धनराशि जमा कर अनुपालन आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें–

1. बिन्दु संख्या–1 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 93.975 हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 187.95 हे0 में दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 43194781/–( चार करोड़ इकत्तिस लाख चौरानवे हजार सात सौ इक्यासी मात्र ) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

2. बिन्दु संख्या–2 क के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 93.975 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 रू0 75461925/– (सात करोड़ चौंवन लाख इखसठ हजार नौ सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

3. बिन्द संख्या–2 ख के अनुसार क्षतिपूरक एवं एन0पी0वी0 की वांछित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

4. बिन्द संख्या–2 ग के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

5. शर्त संख्या–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र देगा। विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमास्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अंक्षाश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वनक्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे फारवर्ड एवं पीछे बैकवर्ड उनकी दिशा बियरिंग भी लिखनी होगी।

6. बिन्दु संख्या–4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करेंगे।

7. बिन्दु संख्या–5 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें।

July 2018/Rajat

dfokanpurnagar@gmail.com

Scanned by CamScanner

8. बिन्दु संख्या–6 कार्य करने की अनुमति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 11–306/2014–एफ0सी0 दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

9. बिन्दु संख्या–7 परियोजना हेतु अपयोजित कुल वन भूमि 93.975 हे0 में पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर स्थित पेट्रोल पम्पों के पक्ष में विमुक्त/अपयोजित वन भूमि सम्मिलित मानी जायेगी।

10. बिन्दु संख्या–8 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 पर पूर्व से स्थित पेट्रोल पम्प को अभिगम (Access) की अनुमति यथावत् मान्य होगी।

11. बिन्दु संख्या–9 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के पत्रांक 8–16/2012–एफ0सी0 दिनांक 09.05.2013 द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुसार सड़क के किनारे खाली स्थानों पर पौधरोपण किया जाना प्रस्तावित था जिसकी अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नही पूरी की गयी तथा ROW की अवशेष भूमि पर मार्ग का चौडीकरण प्रस्तावित है उक्त सड़क किनारे वृक्षारोपण के कार्य हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा फण्ड में धनराशि भी जमा करायी जा चुकी है। उपरोक्त सड़क किनारे वृक्षारोपण के बदले समतुल्य वन रोपण हेतु राज्य सरकार उपयुक्त स्थल का चयन करके पौधरोपण सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया जा सके।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

Scanned by CamScanner